न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी-कमलेश कुमार इटावदिया)

<u>व्य.वाद प्रकरण क्रमांक 74ए / 2017</u> संस्थापन दिनांक :--11.04.2017

शिवरानी उर्फ बिट्टीबाई पत्नी श्री मधुसूदन मेहतो, उम्र–57 वर्ष, निवासी–बैतूल बाजार तह. व जिला बैतूल

<u>(विरूद्ध)</u>

- 1. लताबाई पत्नी चन्द्रशेखर, उम्र–52 वर्ष
- 2. जितेश वल्द चन्द्रशेखर, उम्र–37 वर्ष
- 3. नितेश वल्द चन्द्रशेखर, उम्र-32 वर्ष
- 4. सीमा पत्नी भरतसिंह रावत, उम्र—29 वर्ष सभी निवासी—सोहागपुर तहसील जिला बैतूल
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल

.....प्रतिवादीगण

....वादी

_::(आदेश)::-

(आज दिनांक 29-08-2017 को पारित किया गया)

- 1— इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा—151 व्यप्रसं. प्रस्तुति दिनांक 10.04.2017 जिस पर आई.ए.नं.—1/17 अंकित किया गया है, का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण, स्वीकृत और अविवादित तथ्यों का अभाव है।
- 3— वादी की ओर से उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी स्व. सालिकराम वल्द श्री हरचरण की पुत्री है और प्रतिवादी क्रमांक—1 चन्द्रशेखर की पत्नी, प्रतिवादी क्रमांक—2 से 4 चन्द्रशेखर के पुत्र व पुत्री है।

सालिकराम के इन वारसानों के अतिरिक्त अन्य काई भी वारसान नहीं है। सालिकराम की पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2016 को हुआ। विवादित भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 0.607 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 374 रकबा 5.151 हेक्टेयर सालिकराम की मृत्यु के पश्चात् उसके वारसानों को प्राप्त हुई। विवादित भूमि का कुछ भाग शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेत् अधिग्रहित किया गया है जिससे संबंधित मुआवजा राशि प्राप्त होने पर प्रतिवादी पक्ष ने वादी को सूचित करने को कहा। जब वादी द्वारा खसरे का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि सालिकराम की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है जो प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वादी को सूचना दिए बिना उसका नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया गया है। प्रतिवादीगण ने एक सहमति पत्र दिनांक 24.07.2010 या अन्य तिथि को चन्द्रशेखर की पुत्री सीमा एवं वादी के नाम से फर्जी तरीके से निर्मित कर विधि विपरीत नोटरी से नोटराईज्ड करवाया है जिसकी वादी को जानकारी नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज निर्मित कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बंटवारे की कार्यवाही की है, जिसकी जानकारी न तो वादी को थी और न ही वह उक्त कार्यवाही में उपस्थित हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा अन्य किसी महिला को उपस्थित कर तहसीलदार के साथ भी धोखाधडी की है। वादी का नाम शिवरानी है एवं उसके बचपन का नाम बिट्टीबाई है। राजस्व अभिलेखो में वादी का नाम बिट्टीबाई दर्ज है परंतु उसने बिट्टीबाई के नाम से कभी हस्ताक्षर नहीं किए। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र विधि विपरीत दस्तावेज है। उक्त आधार पर सोहागपुर स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 348 व 374 रकबा क्रमशः 0.607 हेक्टेयर व 5.151 हेक्टेयर भूमि के किसी भाग का विक्रय या विक्रय की संविदा न करने बाबत वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जबाव प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि शिवरानी ने बिट्टीबाई के नाम से हस्ताक्षर कर विधिवत स्टाम्प पर दिनांक 24.07.2010 को गवाहों के समक्ष एक सहमति पत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने राजस्व अभिलेख से उसका नाम काटे जाने की सहमति दी थी और उसके आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल ने बिट्टी उर्फ शिवरानी तथा सीमा पुत्री स्व. चन्द्रशेखर का नाम राजस्व अभिलेख से हटा दिया। इसके बाद स्वर्गीय फुलाबाई और प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 के बीच आपसी बंटवारानामा दिनांक 24.07.2010 व सीमा, लता, नितेश और जितेश वर्मा के कथन के आधार पर बंटवारा विधिवत कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। बिट्टीबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था इसलिए शिवरानी उर्फ बिट्टी ने बिट्टीबाई के नाम से राजस्व अभिलेख पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिवादीगण को मुआवजा प्राप्त हुआ इस की जानकारी वादी पक्ष को थी। इसलिए मुआवजे के दौरान अवलोकन व उसकी जानकारी का प्रश्न नहीं उठता। वास्तविकता यह है कि बिट्टीबाई उर्फ शिवरानी ने दिनांक 24.07.2010 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे निष्पादित किया। प्रतिवादीगण ने बिट्टीबाई को विवादित जमीन के बंटवारे के संबंध में जानकारी दी थी। विवादित भूमि में वादी का कोई अंश नहीं है। स्व. चन्द्रशेखर ने विवादित भूमि में एक पक्का कुंआ स्वयं के पैसों से खुदवाकर बंधवाया है तथा लगभग 13-14 वर्ष पूर्व स्व. चन्द्रशेखर तथा प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि में एक ट्यूबवेल लगवाया है एवं 6-7 वर्ष पहले सीमेंट, कंकीट के कालम खडे कर टीन शेड प्रतिवादीगण ने बनवाया है, जिसकी जानकारी वादिया को रही है। वादिया के पिता की मृत्य के समय वह तीन माह के गर्भ में थी, सालिक राम की मृत्यू के पश्चा वादिया का जन्म हुआ है। वादिया का वाद प्रथम दृष्ट्या नहीं है। उक्त आधार पर वादिया की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

- 5— वादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं:—
 - 1. क्या वादी का वाद प्रथमदृष्ट्या सुनवाई योग्य है?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है?
 - 3. क्या वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की गई तो वादी को अपूर्णीय क्षिति होगी ?

-:: <u>सकारण निष्कर्ष</u>::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 से 3 का निराकरण :-

- 6— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7— वादी ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का औपचारिक समर्थन किया है। वादी/आवेदिका ने अपने आवेदन के समर्थन में राजस्व न्यायालय में बंटवारे हेतु लंबित प्रकरण कमांक—443—27/09—10 की आदेश पत्रिका दिनांक 17.06.2010 लगायत 30. 08.2010 प्रस्तुत की है तथा बंटवारा प्रकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति व उक्त प्रकरण में जारी ईश्तहार व उभयपक्षों के मध्य हुई सहमित बाबत सहमित पत्र व आपसी बंटवारा नामा एवं प्रकरण में सीमा, लताबाई, नितेश व जितेश वर्मा के कथन की प्रति प्रस्तुत की है।
- 8— प्रतिवादी पक्ष ने व्यक्त किया कि बंटवारा प्रकरण में वादिया शिवरानी उर्फ बिट्टीबाई ने भी सहमति दी थी। परंतु उक्त संबंध में वादिया की

ओर से व्यक्त किया कि उसने किसी प्रकार की सहमित नहीं दी है। वादग्रस्त संपत्ति उभयपक्षों की पैतृक संपत्ति रही है जो पूर्व में सालिकराम के नाम से दर्ज रही। सालिकराम की एक पुत्री वादिया शिवरानी है व एक पुत्र चन्द्रशेखर था, जिसकी मृत्यु हो गयी है, जिसके वारिसान प्रतिवादी क्रमाक—1 लगायत 4 हैं। सालिक राम की मृत्यु लगभग 65 वर्ष पूर्व होना प्रतिवादी पक्ष ने कहा है।

9— वादिया ने कहा कि उसने बंटवारा प्रकरण में किसी प्रकार की सहमित नहीं दी। उक्त संबंध में प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि वादिया की सहमित के आधार पर पैतृक संपित्त का बंटवारा होकर, संपित्त प्रतिवादी पक्ष के नाम पर दर्ज हुई है। वादिया ने उसके पिता की संपित्त अर्थात् पैतृक संपित्त में उसका स्वत्व होना व संपित्त का बंटवारा व प्रतिवादी पक्ष से आधिपत्य दिलाए जाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है। यद्यपि वादग्रस्त संपित्त पर प्रतिवादी पक्ष का आधिपत्य है, यह बात उभयपक्षों ने कही है। अर्थात् वादग्रस्त संपित्त प्रतिवादी पक्ष के नाम दर्ज है ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर है।

वादी की ओर से व्यक्त किया कि प्रतिवादी पक्ष वादग्रस्त संपत्ति विक्रय करना चाहता है। वादी ने वादग्रस्त संपत्ति में हक व स्वत्व की सहायता आदि हेतु वाद प्रस्तुत किया है। यदि प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त संपत्ति व उसके किसी भाग को विक्रय/अंतरित कर दिया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। यद्यपि वादी का स्वत्व उत्पन्न होता है या नहीं, इस तथ्य का विनिश्चय उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर गुणदोष पर हो सकेगा। परंतु यदि प्रकरण के विचारण के दौरान वादग्रस्त संपत्ति विक्रय की गयी तो असुविधा भी वादिया को प्रतिवादी पक्ष की तुलना में अधिक होगी। इस कारण वादग्रस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को विक्रय/अंतरित किए जाने से रोकने हेतु प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना उचित है।

- 11— वादिया वाद को प्रथमदृष्ट्या सुनवाई योग्य होने व सुविधा के संतुलन वाला बिन्दू भी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रही है।
- 12— उपरोक्तानुसार वादिया विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1 लगायत 3 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रही है।
- अतः वादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपिवत धारा 151 दिनांकित 10.04.2017 जिस पर आई०ए०नं०— 1/17 अंकित है, स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कमांक—1 लगायत 4 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाती है कि वे ग्राम सोहागपुर स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 348 व 374 रकबा कमशः 0.607 हेक्टेयर व 5.151 हेक्टेयर भूमि को या उसके किसी भाग को प्रकरण के निराकरण तक किसी अन्य को विक्य/अंतरित नहीं करें एवं न ही करावे।
- 14— इस आवेदन पत्र का व्यय प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय पारित आदेशानुसार देय होगा। आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, विनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही— (कमलेश कुमार इटावदिया) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1 बैतूल (म.प्र.) सही— (कमलेश कुमार इटावदिया) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1 बैतूल (म.प्र.) 10.04.2017